FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0013 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/01/2024 22:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/01/2024 **Time (समय):** 21:20 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/01/2024 22:44:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 4 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** 318, Nideshalay Matshya Vibhag Jaip, Jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mohammad Rafik

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Munir Khan

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Kho Nagoriyan Badi Masjid Ke Peeche, Jagatpura Road Jaipur, KHO NAGORIYAN , JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Kho Nagoriyan Badi Masjid Ke Peeche, Jagatpura Road Jaipur, KHO NAGORIYAN , JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9351399431

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Premsukh Bishnoi		पिता:Mohanlal Bishnoi	1. C-139,Bapu Nagar,Jaipur,GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY
2	Rakesh Dev		पिता:Heeralal Dev	1. 103/71,Sector 10 Pratap Nagar,Sanganer Jaipur,PRATAP NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		35,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 35,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 18.01.2024 को परिवादी श्री मौहम्मद रफीक पुत्र श्री मूनीर खां जाति मुसलमान नागौरी उम्र 48 साल निवासी खो नागोरियान बड़ी मजिस्द के पीछे, जगतपुरा रोड़, पुलिस थाना खो नागोरियान जयपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. जयपुर विषय-रिश्वत मांगने के खिलाफ कार्रवाई हेतु महोदय, मेरा नाम मो0 रफीक S/o मुनीर खाँ खो नागोरियान जयपुर, मेरे भतीजे के नाम से अन्नपुर्णा डूंगरी तालाब टोंक में मछली पकड़ने का टेण्डर हुआ था। 11/08/2023 को मछली पकड़ने और उसका व्यापार करने के लिए लाईसेंस (परमिट) की जरूरत होती है। 23 नवम्बर 2023 को लाईसेंस फीस जमा करवाई थी। लाईसेंस लेने के लिए मैंने मत्स्य विभाग लाल कोठी जयपुर के अनगिनित चक्कर लगा चुका हूँ परन्तु मुझे लाईसेंस बनाकर नही दिया गया। दिनांक 16 जनवरी 2024 को मैं दुबारा मत्स्य विभाग गया मैंने लाईसेंस के बारे में रामदयाल नाम के व्यक्ति से पूछा तो उसने मुझे राकेश दवे जी से मिलने के लिए कहा उसके बाद मैंने अपने दोस्त(मित्र) पुर्व सरपंच(लवादर टोक) इकबाल हसन के रेफरेंस से राकेश दवे से मिलकर लाईसेंस देने की बात कही (लाईसेंस मांगा) तो राकेश दवे ने मुझसे एक लाख रूपये(100000/-) लाईसेंस की ऐवज में मांगे मैंने उनसे कहा यह बिल्कुल भी संभव नही है। मेरा काम बिल्कुल सही है। और मैं कोई गलत काम भी नही कर रहा हूँ, जिस पर राकेश दवे ने कहा लाईसेंस लेना हो तो एक लाख रूपये (100000/-) देने ही पड़ेगें। चूंकि तालाब में पानी कम हो रहा है और मछली मर रही है। इस लिये मुझे जल्द से जल्द मछली निकालनी है। इसके लिए मुझे लाईसेंस (परमिट) की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए दबाव में आकर मैंने राकेश दवे को रूपये कम करने के लिए कहा तो उन्होने Director साहब प्रेम सुख विश्नोई से पूछकर बताने को कहा फिर राकेश दवे जी Director प्रेमसुख विश्नोई साहब से पूछकर आये और कहा लाईसेन्स चाहिए तो कम से कम 50000/-(पचास हजार रूपये) तो देने ही पड़ेगे। राकेश दवे जी मुझ से खुद (स्वयं) और Director प्रेमसुख विश्नोई जी के लिए रिश्वत के पचास हजार रूपये(50000/-) मांग रहे है और कृपया इस मामले में कार्रवाई करे। परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे भतीजे अरबाज खान पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से जलाशय में मछली पकड़ने के लिए वर्ष 2023-2024, बंध अन्नपूर्णा, तालाब जिला टोंक में ठेका आवंटित हुआ था, जिसकी निर्धारित फीस जमा करवाई गई थी। उक्त तालाब में मछली पकड़ने और व्यापार करने के लिए लाईसेंस की आवश्यकता है। उक्त लाईसेंस के लिए मैं मतस्य विभाग के चक्कर लगा रहा हूं व लाईसेंस अभाव मे मछलियां मर रही है। दिनांक 16.01.2024 को मैं मतस्य विभाग में मिलने वाले सरपंच श्री इकबाल हसन के रेफरेंस से श्री राकेश दवे से मतस्य विभाग में मिला तो उन्होने मेरे से 01 लाख रूपये स्वयं और डायरेक्टर साहब के लिए रिश्वती राशि की मांग की तथा विभाग के डायरेक्टर प्रेमसुख जी विश्नोई से मिलने के बाद उन्होने 50000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग की है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं परिवादी से मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। मन्् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि नं0 245 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक व कानि0 का आपस में परिचय करवाया जाकर कानि0 से कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व Sandisk Ultra 32GB नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाकर वाईस रिकार्डर में Sandisk Ultra 32GB नया मैमोरी कार्ड लगाया जाकर कानि0 श्री प्रदीप कुमार को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने के लिए मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात् परिवादी के साथ कानि0 श्री प्रदीप कुमार को पशुधन भवन में स्थित मत्स्य विभाग लाल कोठी जयपुर में श्री राकेश दवे के पास भेजकर मांग सत्यापन

करवाया गया तो उक्त मांग सत्यापन के संबंध में परिवादी द्वारा बताया गया कि मैं राकेश जी दवे के कार्यालय कक्ष में जाकर मिला और रिश्वती राशि कम करने के बारे में कहने पर उन्होने कहा कि दस बीस हजार रूपये कम दोगे तो डायरेक्टर साहब गाड़ी भेज देगें, फिर उन्होने कहा दस से बीस परसेंट लेते है ठेके की राशि पर, एक लाख बीस हजार हो रहे है जो बहुत ज्यादा हो जाते है, डायरेक्टर साहब से सारी समस्या बताने के बाद भी पचास पर फाईनल हो पायेगा, मैंने डायरेक्टर साहब से मिलने की रिक्वेस्ट करी तो उन्होने कहा कि मिल लो और उनको बोलना मेरे बारे में कि, उन्होने तो एक लाख बताये है और फिर बोलना मेरे पास इतने है फिर उन्होने कल ग्यारह बजे का समय दिया है डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए और फिर मैं रवाना होकर आ गया।" वगैरह तथ्य प्रकट हुए। उक्त मांग सत्यापन से श्री राकेश दवे द्वारा रिश्वत मांग करने पुष्टि हुई।

दिनांक 19.01.2024 को परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को कानि0 श्री प्रदीप कुमार के साथ पशुधन भवन लाल कोठी जयपुर में स्थित मत्स्य विभाग में भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 18.01.2024 की वार्तानुसार श्री राकेश देव व निदेशक श्री प्रेमसुख विश्नोई से रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। उक्त मांग सत्यापन के संबंधमें परिवादी ने बताया कि, "मैं रवाना होकर मतस्य विभाग में स्थित श्री राकेश दवे जी कार्यालय में पहुंचा तो उन्होने मुझे प्रेमसुख जी विश्नोई से मिलने के लिए कहकर उनके कार्यालय में जाने के लिए कहा तो मैं रवाना होकर प्रेमसुख जी विश्नोई के कार्यालय के बाहर मौजुद व्यक्ति को पर्ची दी तथा मोबाईल भी बाहर देकर चैम्बर में गया तो प्रेमसुख जी विश्नोई को मैंने टोंक से आने व मेरे लाईसेंस की सख्त आवश्यकता होने के बारे व राकेश जी से मिलने के बारे में बताया और रिश्वती राशि को थोड़ा सा कम करने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि थोड़ा सा तो क्या हुआ वो तो करना पड़ेगा ही, इस पर मैंने उनको रिश्वती राशि ज्यादा होने के बारे में बताया तो उन्होने कितनी राशि तो मैंने राकेश जी द्वारा बतायी हुए एक लाख रूपये बताकर पचास हजार करने के बारे में बताया तथा मोटरसाईकिल बेचकर रिश्वती राशि की व्यवस्था करने और माल के नुकसान के बारे में बताया और उन्होने उसके बाद अपने पीऑन को मुझे राकेश जी से मिलाने व जरूरी डिस्काउण्ट दिलाकर लाईसेंस दिलाने के बारे में कहा और फिर मैं पीऑन के साथ रवाना होकर उन्होने राकेश जी से मिला और मैंने राकेश जी को डायरेक्टर साहब से हुई वार्ता के बारे में व रिश्वती राशि 31 हजार रूपये के बारे में बताया तो राकेश जी ने डायरेक्टर साहब से मिलकर इक्तीस हजार रूपये की पूछकर लेने की सहमति प्रदान कर उपर 2-5 हजार रूपये और लाने के बारे में कहा गया" वगैरहा तथ्य प्रकट हुए है। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार परिवादी से संदिग्ध श्री राकेश देव व श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा आज ही रिश्वत राशि के 31000/- रूपये ली जाने सम्बंधित तथ्य प्रकट हुए है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ से संदिग्ध श्री प्रेमसुख विश्नोई निदेशक व श्री राकेश देव मतस्य विभाग द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री मौहम्मद रफीक ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि राकेश जी दवे ने मेरे से 2-5 हजार रूपये उपर के लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं उनको रिश्वती राशि के रूप में 35 रूपये दूंगा। इस मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आज ही ट्रेप कार्यवाही करने के निर्णय से अवगत कराकर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को 35000/-रूपये रिश्वती राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने कहा कि मैं थोड़ी देर मे रिश्वती राशि लेकर कार्यालय में आता हूं। श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99 से ट्रेप बॉक्स व पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन को तलब करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहन सर्वश्री श्री कृष्णपाल सिंह कनिष्ठ सहायक, आयोजना द्वितीय अनुभागी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर व श्री मोहित आचार्य वरिष्ठ सहायक, विधुत मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के उपस्थित आने पर गोपनीय कार्यवाही में रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री मौहम्मद के आने पर दोनो स्वतंत्र गवाहन से परिवादी का परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये तथा अब तक की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। दिनांक 19.01.2024 समय 2.40 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहन श्री कृष्णपाल सिंह व श्री मोहित आचार्य के समक्ष परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को आरोपी श्री राकेश दवे को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री मोहम्मद रफीक ने अपने पास से 500-500 रूपये के 70 नोट भारतीय मुद्रा के कुल राशि 35000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल 70 नोट राशि 35000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री मोहम्मद रफीक के समक्ष श्री सफी मौहम्मद कानि0 नं0 173, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मोहम्मद रफीक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री मोहित आचार्य से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री सफी मौहम्मद कानि0 से परिवादी श्री मोहम्मद रफीक पहने हुए जैकेट के बांयी तरफ के जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414217254 पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत

राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मोहम्मद रफीक को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया गया। तत्पश्चात श्री सफी मौहम्मद कानि0 से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री सफी मौहम्मद कानि0 से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री सफी मौहम्मद कानि0 के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32GB लगाकर वाईस रिकार्डर लगाकर कानि0 श्री प्रदीप कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने वाले श्री सफी मौहम्मद कानि0 को कार्यालय में छोडा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। समय 5.00 पीएम पर श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, मय श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्री मनीष हैड कानि0 नं0 31, श्रीमती रजनी म0 कानि0 नं0 127, श्री सीताराम कनिष्ठ सहायक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कृष्णपाल सिंह व श्री मोहित आचार्य के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के मय चालक श्री रूपेश कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के एवं श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को परिवादी श्री मौहम्मद रफीक के साथ उनकी निजी वाहन से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही एसीबी कार्यालय से रवाना होकर पशुधन भवन लाल कोठी के पास पीएचक्यु चौराहे के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी व कानि0 श्री प्रदीप कुमार भी उपस्थित है, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम के पशुधन भवन के आस-पास गोपनीय रूप से मुकीम हुआ। पीएचक्यू चौराहा, लालकोठी जयपुर के पास समय 05.26 पीएम पर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को मुनासिब हिदायत कर श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु करवाकर सुपुर्द कर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को रिश्वती राशि का आदान प्रदान करने के लिए के पशुधन भवन में स्थित द्वितीय तल पर मतस्य विभाग के कार्यालय में आरोपी श्री राकेश देव के पास रवाना किया जाकर श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को उसके पीछे-पीछे पशुधन भवन में रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम, दोनो स्वतंत्र गवाहन के पशुधन भवन के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। तत्पश्चात् समय 06.15 पीएम पर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए पशुधन भवन में प्रवेश कर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक के पास पहुंचे, परिवादी ने मन् टीएलओ को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि श्री राकेश देव ने मेरे को मछली पकड़ने का लाईसेंस देकर रिश्वती राशि के 35000/- रूपये टेबल पर रखे कागज में फोल्ड करवाकर रिश्वती राशि प्राप्त की गई है, जो अपने कार्यालय कक्ष में मौजुद है। इस पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम, स्वतंत्र गवाहन व परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को हमराह लेकर द्वितीय तल पर स्थित आरोपी श्री राकेश देव के कार्यालय कक्ष नं0 318 में पहुंचे, जहां पर कार्यालय कक्ष में मौजुद व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री राकेश देव है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरे भतीजे अरबाज खान पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से जलाशय में मछली पकड़ने के लिए आवंटित ठेका वर्ष 2023-2024, बंध अन्नपूर्णा, तालाब जिला टोंक में मछली पकड़ने का लाईसेंस देने के लिए रिश्वती राशि के 35000/- रूपये टेबल पर रखे एक सफेद कागज जिसके एक तरफ अग्रेजी में टाईप किये हुए में फोल्ड करवाकर अपने पहने हुए ब्लेजर कोट की बांयी तरफ स्थित अन्दर की जैब में रख लिये थे। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं व स्वतंत्र गवाहन मय ट्रेप टीम का परिचय देते हुए आरोपी श्री राकेश देव का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल देव जाति बैरवा उम्र 41 साल निवासी ग्राम राजपुर, तहसील राजगढ जिला अलवर वर्तमान निवास मकान नं0 103/71, बीके टपरी, सैक्टर नं0 10, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर हाल सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मतस्य विभाग, जयपुर होना बताया। मन् टीएलओ द्वारा परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से प्राप्त रिश्वती राशि के 35000/- रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री राकेश देव ने बताया कि मेरी पहनी हुई ब्लेजर कोट की बांयी तरफ उपर अन्दर की जैब में रखी हुई है। इस पर मन् टीएलओ द्वारा हमराह स्वतंत्र गवाह श्री मोहित आचार्य से आरोपी श्री राकेश देव की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री राकेश द्वारा पहनी हुई ब्लेजर कोट की बांयी तरफ उपर अन्दर की जैब में रिश्वती राशि एक सफेद कागज जिसके एक तरफ अग्रेजी में टाईप किये हुए, में लपेटी हुई बरामद हुई। उक्त रिश्वती राशि को दोनो स्वतंत्र गवाहन से

गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35000/- होना बताया, जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने उक्त नोटो के नम्बर हुबहु वही होना बताया। उक्त रिश्वती राशि के 35000/- रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री मोहित आचार्य के पास सुरक्षित रखवाया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राकेश देव का मोबाईल फोन वन प्लस को कब्जा एसीबी लिया गया। मन् टीएलओ द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में मौजुद लेन-देन वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि होती है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ एवं लेन-देन की वार्ता से संदिग्ध श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक(आईएएस) निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार की लिप्तता स्पष्ट प्रकट होती है। अतः श्री संजय रॉयल, उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के संदिग्ध श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक को डिटेन करने के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राकेश देव के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी राकेश देव के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री राकेश देव के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री राकेश देव एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री राकेश देव के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री राकेश देव एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से आरोपी श्री राकेश देव ने रिश्वती राशि प्राप्त कर पहनी हुई ब्लेजर कोट की बांयी तरफ ऊपर अन्दर की जैब में रखी गई थी, उक्त रखी हुई रिश्वती राशि के स्थान का धोवन लेने के लिए आरोपी श्री राकेश देव द्वारा पहना हुआ ब्लेजर कोट को उतरवाकर ब्लेजर कोट की बांयी तरफ ऊपर अन्दर की जैब को उल्टा कर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सीन्ल्ड मोहर कर मार्क RC-1, RC-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री राकेश देव एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री राकेश देव द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि के 35000/- रूपये एक सफेद कागज, जिसके एक तरफ अग्रेजी में टाईप किया हुआ है, में फोल्ड करवाकर प्राप्त की गई थी, उक्त कागज का धोवन लेने हेतु सफेद कपड़े की चिन्दी से उक्त कागज को रगड़कर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सीन्ल्ड मोहर कर मार्क C-1, C-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री राकेश देव एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व चम्मच को जलवाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री राकेश देव द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि के 35000/- रूपये एक सफेद कागज जिसके एक तरफ अग्रेजी में टाईप किया हुआ है में फोल्ड करवाकर प्राप्त की गई थी, उक्त कागज पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर व सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क C अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राकेश देव द्वारा परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 70 नोट कुल रिश्वत राशि 35,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह मोहित आचार्य के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सीन्ल्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से आरोपी श्री राकेश देव ने रिश्वती राशि प्राप्त कर पहनी हुई ब्लेजर कोट की बांयी तरफ ऊपर अन्दर की जैब को सुखाकर स्वतंत्र गवाहन, परिवादी एवं आरोपी श्री राकेश देव के हस्ताक्षर करवाकर उक्त ब्लेजर कोट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीन्ल्ड मोहर मार्क RC अंकित कर उपरोक्त सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र गवाह, परिवादी व आरोपी की मौजुदगी में सीन्ल्डशुदा शीशीयां क्रमशः मार्क R-1, R-2, L-1, L-2 में धोवन का घोल स्वतः मटमैले से केसरिया पीला हो गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रफीक मौहम्मद से रिश्वती राशि आदान-प्रदान करने के दौरान आरोपी श्री राकेश देव से अपने भतीजे श्री अरबाज खान पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से बंध/नदी अन्नपूर्णा जिला टोंक के मत्स्याखेट हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए अनुज्ञापत्र मय पत्र प्राप्त करना बताया, जिसको मन् टीएलओ के समक्ष पेश किया,

जिसका निरीक्षण किया तो निदेशालय मत्स्य विभाग के पत्रांक 9146 दिनांक 28.12.2023 के पत्र के साथ मत्स्याखेट का अनुज्ञा पत्र नम्बर 009393 दिनांक 20.12.2023 से 31.03.2024 तक का ठेकेदार श्री अरबाज खान पुत्र श्री इकबाल हसन निवासी गैस गोदाम के पास टोंक के नाम जारी है। उक्त मूल प्रति की परिवादी श्री मौहम्मद रफीक को आवश्यकता होने पर परिवादी को लौटाई जाकर फोटोप्रति तैयार करवाई सम्बंधितो के हस्ताक्षर कर एसीबी कब्जा लिया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री राकेश देव से परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से प्राप्त रिश्वती राशि 35000/- रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री राकेश देव ने बताया कि श्री मौहम्मद रफीक दिनांक 18.01.2024 को मेरे पास आकर इन्होने मेरे परिचित श्री इकबाल पूर्व मत्स्याखेट ठेकेदार से बात करवाकर बंध/नदी अन्नपूर्णा जिला टोंक के मत्स्याखेट हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए अनुज्ञापत्र नही मिलने के बारे में जानकारी चाही तो मैंने रफीक जी को कहा था कि यह काम मेरे पास नही है, मैंने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की थी और आज इनको श्री प्रेमसुख विश्नोई डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए बुलाया था, रफीक जी आज 11-12 बजे कार्यालय में आये थे, मैंने इनको डायरेक्टर साहब प्रेमसुख जी विश्नोई के पास बात करने के लिए भेजा था और रफीक जी ने डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद मेरे पास आये और कहा कि डायरेक्टर साहब ने आपसे मिलने के लिए बोला है और जो भी पैसे देने हो वो दे देना, इस पर मैंने कहा ठीक है, डायरेक्टर साहब ने कहा है तो लाईसेंस दिलवाने में मदद करूंगा। इसके बाद अभी मेरे पास आया तो रफीक जी ने कहा कि डायरेक्टर साहब के लिए कुछ लेके आया हूँ तथा डायरेक्टर साहब के लिए उन्होने कुछ टेबल पर पड़े कागज में फोल्ड कर रूपये दिये, जिनको मैंने सीधे ही पहनी हुई ब्लेजर कोट की जैब में रख लिये थे। इस पर परिवादी श्री रफीक मौहम्मद ने आरोपी श्री राकेश देव के कथनो को सरासर झूठा बताते हुए कहा था कि मैं दिनांक 16.01.2024 को राकेश देव जी से इकबाल हसन जी पूर्व सरपंच के रेफरेंस से मिला था तो इन्होने मेरे भतीजे अरबाज खान के नाम से बंध/नदी अन्नपूर्णा जिला टोंक के मत्स्याखेट हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए अनुज्ञापत्र देने के लिए 01 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग की थी और मेरे द्वारा कम करने की कहने पर इन्होने डायरेक्टर साहब से पूछकर 50,000/-रूपये स्वयं और डायरेक्टर साहब के लिए मांगे थे। उसके बाद रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 18.01.2024 को मैंने राकेश जी को रिश्वत कम करने के लिए कहा तो इन्होने कहा कि दस-बीस हजार कम करने से डायरेक्टर साहब गाड़ी भेज देगे और दिक्कत आयेगी और इन्होने कहा कि वैसे ठेके का 20 प्रतिशत लेते है, वो तो बहुत ज्यादा हो जायेगे, आपका काम पचास हजार में करवा देंगें, फिर मैंने इनको कहा कि पचास हजार रूपये रिश्वती राशि नही बनेगी और डायरेक्टर साहब से मिलवा दो, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कम करने की तो राकेश जी ने मुझे आज 11 बजे बुलाया था। इस पर मैं इनके बताये अनुसार कार्यालय में आया तो मैंने इनके कहे अनुसार पर्ची देकर डायरेक्टर साहब प्रेमसुख जी से मिलकर 50000/- रिश्वती राशि कम करने के लिए विनती की तो प्रेमसुख जी ने पहले तो कहा कि ये तो लगेगें ही, फिर मैंने ज्यादा होने व मेरी स्थिति के बारे में बताया तो प्रेमसुख जी ने अपने पीओन को राकेश जी से मिलाने और डिस्काउंट देने और लाईसेंस देने के बारे में कहा था। इस पर राकेश जी से मिलकर डायरेक्टर साहब से हुई वार्ता के बारे में बताया था और डायरेक्टर साहब से मिलकर 31000 रूपये रिश्वती राशि व 2-5 हजार रूपये और लेकर आने के बारे में कहा था। इस पर मैंने इनको मेरे भतीजे अरबाज खान पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से जलाशय में मछली पकड़ने के लिए आवंटित ठेका वर्ष 2023-2024, बंध अन्नपूर्णा, तालाब जिला टोंक के अनुज्ञापत्र देने के लिए 35000/-रूपये रिश्वती राशि दी है। तत्पश्चात् आरोपी श्री राकेश देव को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन एवं लेन-देन के दौरान परिवादी से हुई वार्ताओं के बारे में बताने पर आरोपी श्री राकेश देव द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। उपरोक्तानुसार तथ्यों व रिकार्डेड वार्ताओ से आरोपी श्री राकेश देव का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। कार्यवाही के दौरान समय करीब 7.30 पीएम पर श्री संजय रॉयल उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के डिटेनशुदा संदिग्ध श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार को साथ लेकर आये और मन् टीएलओ को श्री प्रेमसुख विश्नोई का एक मोबाईल फोन सेमसंग कंपनी का पेश किया और बताया कि श्री प्रेमसुख विश्नोई को उनके बापू नगर रिहायशी मकान से डिटेन किया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार को अपना व स्वतंत्र गवाहन का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम पता श्री प्रेमसुख विश्नोई पुत्र श्री मोहन लाल विश्नोई उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 ई-35, खतुरिया कोलोनी, बीकानेर वर्तमान निवास फ्लेट नं0 401-402 सी-139, बापू नगर, जयपुर हाल निदेशक, निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार, पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर मोबाईल नम्बर 9414136820 होना बताया। संदिग्ध श्री प्रेमसुख विश्नोई से परिवादी श्री मौहम्मद रफीक के भतीजे श्री अरबाज खान पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से बंध/नदी अन्नपूर्णा जिला टोंक के मत्स्याखेट हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए अनुज्ञापत्र देने के लिए परिवादी से रिश्वती राशि मांगने व रिश्वती राशि आरोपी श्री राकेश देव को देने के लिए कहने के सम्बंध में पूछा गया तो श्री प्रेमसुख विश्नोई ने कहा कि किसी ठेकेदार को उसका लाईसेंस जरिये डाक भेजते है या कोई लेने आये तो उसे व्यक्तिगत रूप से दे देते है, मेरे पास आज रफीक ठेकेदार लाईसेंस लेने व मिलने के लिए मेरे ऑफिस में नही आया। मैंने इनसे किसी भी प्रकार की कोई रिश्वती राशि की मांग नही की थी और ना ही रिश्वती राशि राकेश देव को देने के लिए कही थी। इस पर मन् टीएलओ द्वारा आज हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई को बताया तो उन्होने कोई जवाब नही दिया और काफी प्रयास करने के बाद भी श्री प्रेमसुख विश्नोई ने अपने पद का रूतबा दिखाते हुए कोई संतोषप्रद जवाब नही

दिया। इस प्रकार प्रकरण में रिकार्डेड वार्ताओ व परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो से आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है। आरोपी श्री राकेश देव से की गई पूछताछ तथा आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई व आरोपी श्री राकेश देव की आमना-सामना पूछताछ की जाकर मन् टीएलओ के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की गई थी, उक्त विडियोग्राफी मन् टीएलओ के मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड रिकार्ड होकर सेव है, उक्त मैमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड के प्लास्टीक पैक में रखकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क "MC" दिया गया। आमना सामना पूछताछ में आरोपी श्री राकेश देव ने आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई के कहने पर परिवादी से रिश्वत राशि लेने की पुष्टि की है। तत्पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा स्वतंत्र गवाहन की मौजुदगी में आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई निदेशक(आईएएस) निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यालय कक्ष की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो आरोपी के मेज के दांहिनी तरफ की रैक में अलग-अलग तारीखो की विजीटर्स पर्चिया मिली, जिनमे से एक पर्ची मौहम्मद रफीक मोबाईल नम्बर 9351399431 पता अन्नपूर्णा तलाब दिनांक 19.01.2024 लिखी मिली। उक्त पर्ची को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं अन्य 32 पर्चियो, प्लॉट के कागज, इन्श्योरन्स के कागज को पृथक से कब्जा एसीबी लिया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई निदेशक(आईएएस) निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर व आरोपी श्री राकेश देव सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मतस्य विभाग, जयपुर ने आपसी मिलिभगत कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री मौहम्मद रफीक के वैध कार्य भतीजे श्री अरबाज खांन पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से बंध/नदी अन्नपूर्णा जिला टोंक के मत्स्याखेट हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए निर्धारित फीस जमा कराने के पश्चात् भी अनुज्ञापत्र देने की एवज में परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से दिनांक 16.01.2024 को आरोपी श्री राकेश देव से मिलने पर 01 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई से पूछकर 50 हजार रूपये रिश्वती राशि की सहमति देना, रिश्वती मांग सत्यापन दिनांक 18.01.2024 को आरोपी श्री राकेश देव ने परिवादी को रिश्वती राशि कम देने पर डायरेक्टर श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा गाड़ी भिजवाने की कहना व ठेके का कुल का 20 प्रतिशत लेने के बारे में बताना, दिनांक 19.01.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी द्वारा आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई के कार्यालय में पर्ची देकर उनसे मिलना, आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई को 50000/- रूपये रिश्वती राशि कम करने के लिए विनती करने पर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा पहले पुर्व में मांगी रिश्वती राशि देने की कहा गया और फिर परिवादी काफी विनती करने पर डिस्काउंट कर रिश्वती राशि कम कर राकेश जी से मिलकर देने के लिए बोलने पर परिवादी द्वारा राकेश देव से मिलने पर 31000/- रूपये रिश्वती राशि और ऊपर से 2-5 हजार रूपये लाने की कहा गया, जिस पर दौराने लेन-देन रिश्वती राशि आरोपी श्री राकेश देव सहायक निदेशक द्वारा परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से वार्ता कर अनुज्ञा पत्र देकर रिश्वती राशि 35000/- रूपये प्राप्त की गई। अतः आरोपीगण (1) श्री प्रेमसुख विश्नोई पुत्र श्री मोहन लाल विश्नोई उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 ई-35, खतुरिया कोलोनी, बीकानेर वर्तमान निवास फ्लेट नं0 401-402, सी-139, बापू नगर, जयपुर हाल निदेशक, निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर (2) श्री राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल देव जाति बैरवा उम्र 41 साल निवासी ग्राम राजपुर, तहसील राजगढ जिला अलवर वर्तमान निवास मकान नं0 103/71, बीके टपरी, सैक्टर नं0 10, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर हाल सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मतस्य विभाग, जयपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा0दं0सं0 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री राकेश देव सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मतस्य विभाग, जयपुर को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 18.01.2024, 19.01.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 19.01.2024 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री राकेश देव ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। समय करीब 10.45 पीएम पर आरोपी श्री राकेश देव सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मतस्य विभाग, जयपुर का अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 19.01.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज में स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोइ ने अपनी कोई रिकार्डिंग नही है, तदापि अधिवक्ता से राय उपरान्त ही मत व्यक्त किया जा सकता है लिखित में प्रत्युत्तर दिया है। समय करीब 11.15 पीएम पर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई, निदेशक निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर का अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राकेश देव के पूर्व में कब्जा एसीबी लिये गये मोबाईल फोन का निरीक्षण किया गया तो उक्त फोन ONE PLUS 11 5G का होकर बरंग ग्रीन मेटेलिक, जिसमें सिम नं0

8949452848 जियो कंपनी व सिम नं0 9440032064 बीएसएनएल कंपनी IMEI1 865111063304793 व IMEI2 865111063304785 है। उक्त मोबाईल का निरीक्षण किया गया तो आरोपी श्री राकेश देव व आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई के मध्य रिश्वत लेन-देन के दौरान संदिग्ध व्हाट्सअप वार्ता करने के तथ्य पाये गये है। उक्त मोबाईल फोन लिफाफे में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर किया जाकर मार्क "RD" दिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई से पूर्व में कब्जा एसीबी लिये गये मोबाईल फोन का निरीक्षण किया तो फोन पर पेटर्न लॉक लगा है, जिसके बारे में आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई से पूछने पर पहले मना किया। तत्पश्चात् समझाईश करने पर पेटर्न लॉक खोलने पर चैक किया तो मोबाईल फोन सेमसंग कंपनी GALAXY A72 बरंग सफेद, जिसमें सिम नं0 9414136820 व 7665857777 तथा IMEI1 359021827816409, IMEI2 359763697816403 है। उक्त मोबाईल का पेटर्न लॉक हटाने के लिए आरोपी को कहा तो उसने पेटर्न हटाने से मना कर देने पर मोबाईल फोन बंद नही किया जा सका। इस पर उक्त फोन को चालु हालात में एक लिफाफे में रखकर कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क "PS" दिया गया। मन् टीएलओ द्वारा नियमानुसार परिवादी श्री मौहम्मद रफीक व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी श्री मौहम्मद रफीक की निशादेही से घटना स्थल का पृथक से नक्शा-मौका मुर्तिब किया गया। फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। बंध अन्नपूर्णा जिला टोंक की पत्रावली मय मत्स्याखेट के अनुज्ञा पत्र की कार्यालय प्रति को पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई तथा रिश्वत लेनदेन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक तैयार की जावेगी। अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई निदेशक(आईएएस) निदेशालय मतस्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर व आरोपी श्री राकेश देव सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मतस्य विभाग, जयपुर ने आपसी मिलिभगत कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री मौहम्मद रफीक के वैध कार्य भतीजे श्री अरबाज खांन पुत्र श्री इकबाल हसन के नाम से बंध/नदी अन्नपूर्णा जिला टोंक के मत्स्याखेट हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए निर्धारित फीस जमा कराने के पश्चात् भी अनुज्ञापत्र देने की एवज में परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से दिनांक 16.01.2024 को आरोपी श्री राकेश देव से मिलने पर 01 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई से पूछकर 50 हजार रूपये रिश्वती राशि की सहमति देना, रिश्वती मांग सत्यापन दिनांक 18.01.2024 को आरोपी श्री राकेश देव ने परिवादी को रिश्वती राशि दस बीस हजार रूपये कम देने पर डायरेक्टर श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा गाड़ी भिजवाने की कहना व ठेके की राशि का कुल का 20 प्रतिशत लेने के बारे में बताना तथा डायरेक्टर प्रेमसुख विश्नोई से मिलकर रिश्वती राशि कम करने की कहने पर आरोपी श्री राकेश देव द्वारा परिवादी को डायरेक्टर मिलवाने व स्वयं द्वारा एक लाख रूपये मांगने के बारे में बोलने की कहकर कल ग्यारह बजे कार्यालय में आने पर डायरेक्टर से मिलवाने के लिए कहा जाने व दिनांक 19.01.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी द्वारा आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई के कार्यालय में पर्ची देकर उनसे मिलना, आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई को 50000/- रूपये रिश्वती राशि कम करने के लिए विनती करने पर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा पहले मांगी गई रिश्वती राशि ही देने के लिए कहा जाना और परिवादी ने राकेश जी द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि के बारे में बताकर काफी विनती करने पर आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा जरूरी डिस्काउंट करने व लाईसेंस हेतु राकेश जी से मिलने के लिए कहने और परिवादी द्वारा राकेश देव से मिलने पर राकेश देव द्वारा 31000/- रूपये रिश्वती राशि और ऊपर से 2-5 हजार रूपये लाने की कहना तथा दौराने लेन-देन रिश्वती राशि आरोपी श्री राकेश देव सहायक निदेशक द्वारा परिवादी श्री मौहम्मद रफीक से वार्ता कर अनुज्ञा पत्र देकर स्वयं के लिए व आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई के लिए रिश्वती राशि 35000/- रूपये प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री प्रेमसुख विश्नोई पुत्र श्री मोहन लाल विश्नोई उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 ई-35, खतुरिया कोलोनी, बीकानेर वर्तमान निवास फ्लेट नं0 401-402, सी-139, बापू नगर, जयपुर हाल निदेशक, निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर (2) श्री राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल देव जाति बैरवा उम्र 41 साल निवासी ग्राम राजपुर, तहसील राजगढ जिला अलवर वर्तमान निवास मकान नं0 103/71, बीके टपरी, सैक्टर नं0 10, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर हाल सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय मत्स्य विभाग, जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। भवदीय, (सुरेश कुमार स्वामी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ...कार्यवाही पुलिस... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधित 2018) 120बी भादसं् में आरोपीगण 1.श्री प्रेमसुख विश्नोई पुत्र श्री मोहनलाल विश्नोई, निवासी बापू नगर, जयपुर हाल निदेशक, निदेशालय, मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 2.श्री राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल देव, निवासी प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर हाल सहायक निदेशक, योजना अनुभाग, निदेशालय, मत्स्य विभाग, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2024 उपरोक्त

धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर को सुपुर्द किया गया। उक्त के सम्बन्ध में रोजनाचा आम रिपोर्ट संख्या 312 पर अंकित है।
(विशनाराम) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः 55-60 दिनांक 20.01.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर-प्रथम। 2.शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3.शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, जयपुर। 4.उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर। 6.अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Abhishek Pareek **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/01/2024 22:46:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1965				
2	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)